कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा जिला कोरबा (छ0ग0)

—:: विज्ञापन ::—

क्रमांक—   /दो—6—3/2004   कोरबा, दिनांक   जनवरी 2016

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 15.02.2016 संध्या 5.00 तक

कोरबा न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी कर्मचारी सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड—तीन निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:—

रिक्त पदों का विवरण

क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदो की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जनजाति 42 %				अनुसूचित जाति 10 %				अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %				सामान्य वर्ग			
			मु.	म. 30%	विक. 6 %	भू.सै. 10%	मु.	म. 30%	विक 6 %	भू.सै. 10%	मु.	म. 30%	विक 6 %	भू. सै. 10%	मु.	म. 30%	विक. 6 %	भू.सै. 10%
1.	सहायक प्रोग्रामर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2.	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
3	स्टेनोग्राफर हिन्दी	10	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
4	सहायक ग्रेड—तीन	14	9	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
योग		27	14	5	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4	2	—	—

संकेतक— मु.— मुक्त, म.— महिला, वि.— विकलांग, भू.पू.सै.— भूतपूर्व सैनिक
नोटः— पदो की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :—

(1) **तृतीय श्रेणी कर्मचारी — सहायक प्रोग्रामर पद के लिए—**

(अ) वेतनबैंड— 9300—34800 + ग्रेड पे 4300/—

(ब) शैक्षणिक अर्हताएं— यूनिक्स/ओपन सोर्स साफ्टवेयर/विण्डोज, एन टी में कार्य करने का अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता—

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में एम.सी.ए./एम.एस.सी./बी.ई./बी.टेक. डिग्री.

अथवा

2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ डी.ओ.ई. से 'ए' लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.सी.ए. तथा प्रोग्रामिंग/साफ्टवेयर डेवलपमेंट में तीन वर्ष का अनुभव।

नोटः—उच्च योग्यता एवं अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(2) <u>तृतीय श्रेणी कर्मचारी – स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) पद के लिए–</u>
(1) वेतनबैंड– 5200–20200 + ग्रेड पे 2800/–
(2) शैक्षणिक अर्हताएं–
(अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
(ब) छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
(स) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड या इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

(3) <u>तृतीय श्रेणी कर्मचारी – स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिए–</u>
(1) वेतनबैंड– 5200–20200 + ग्रेड पे 2800/–
(2) शैक्षणिक अर्हताएं–
(अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
(ब) छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
(स) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड या इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

(4) <u>तृतीय श्रेणी कर्मचारी – सहायक ग्रेड–तीन पद के लिए–</u>
(1) वेतनबैंड– 5200–20200 + ग्रेड पे 1900/–
(2) शैक्षणिक अर्हताएं–
(अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
(ब) छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
(स) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड या इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :–

(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को नियमानुसार छूट होगी)।

(अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(2) छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र होंगे, जिन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2016 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परन्तु 40 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

(4) विशेष वर्गो के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत् लागू रहेंगी, किन्तु ऐसी सभी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतम आयु सीमा में छूट :–

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

(एक) (1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।

(एक) (2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ–7–25–93/1 आ.प. दिनांक 20/01/1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(एक) (3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट दी जावेगी। यही आयु की छूट परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

(एक) (4)– ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नही होगी ।

स्पष्टीकरणः– छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है कि जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

(एक) (5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नही होगी।

(एक) (6)– महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

(एक)(7)–सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ.1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचितजाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(एक) (8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(एक) (9)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

(दो) (1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक– सी. 3/10/85/3/1 दिनांक 29/06/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(दो) (2)– विकम पुरस्कार, शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक–एफ–19–2/2005/1–3, दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :– (1) बिंदु कमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।
(2) बिंदु कमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी । यह छूट बिंदु कमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी ।

उदाहरण :–यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ विकम पुरस्कार प्राप्त हो, तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विकम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी ।
(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

<u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया :–</u>

1. आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारुप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के पते पर निर्धारित तिथि 15.02.2016 की शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में स्वतः की उपस्थिति के माध्यम से या स्पीट पोस्ट/ पंजीकृत डाक द्वारा ही स्वीकार किया जावेगा। लिफाफे के ऊपर आवेदक स्पष्ट रूप से (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग),आवेदित पद सहायक प्रोग्रामर/स्टेनोग्राफर अंग्रेजी/ स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड–तीन के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र अंकित करें। आवेदन पत्र कार्यालयीन समय 10.30 बजे से 5.30 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर या डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा ही प्रस्तुत किये जा सकते है। कोरियर के द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ दो फोटो, प्रवेश पत्र भरकर दो प्रति में, शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां, पांच–पांच रूपये का डाक टिकट लगा हुआ, स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफा संलग्न करना आवश्यक होगा।

2. विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के आफिशियल वेबसाईट korba.court@nic.in में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।
3. कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिये आवेदन करना चाहता हो तो प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र पृथक–पृथक लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा।

4. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण–पत्र अथवा हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता/विभाग प्रमुख को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. आवेदन पत्र में चस्पा फोटो स्वप्रमाणित होना चाहिए तथा अलग से एक बिना प्रमाणित स्वयं का पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।
7. आवेदन पत्र के साथ इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारुप में प्रवेश पत्र भरकर दो प्रति में अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा
8. आवेदन पत्र के प्रारूप में निर्दिष्ट स्थान पर पुरूष अभ्यार्थी का बांया और महिला अभ्यार्थी का दांया अंगूठा निशानी लगाना अनिवार्य है जिन पुरूष आवेदकों का उल्टे/ बाये हाथ का अंगूठा नहीं है वे सीधे/दाये हाथ का अंगूठा निशानी लगा सकते है एवं जिन महिला आवेदकों की सीधे/दाये हाथ का अंगूठा नहीं है उल्टे/बाये हाथ का अंगूठा निशानी लगा सकतीं है।

<u>चयन प्रकिया :–</u>

1. <u>सहायक प्रोग्रामर–</u>

<u>(अ) लिखित परीक्षा</u> – सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जावेगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न के 2 अंकों का होगा जो वस्तुनिष्ट प्रकार का होगा एवं चार विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना होगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। परीक्षा शुरू होने के आधे घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहना होगा।

<u>टीप</u> – लिखित परीक्षा पश्चात् एम.सी.ए./एम.एस.सी./बी.ई./बी.टेक के अभ्यार्थियों को कुल 10 अंक अतिरिक्त रूप से दिये जायेंगे। तीन वर्ष से अधिक का किसी संस्थान में प्रोग्रामिंग/साफ्टवेयर डवलपमेंट का अनुभव रखने वाले अभ्यार्थियों को 05 अंक प्रतिवर्ष के अनुभव के संबंध में दिये जायेंगे (अनुभव हेतु अधिकतम 25 अंक दिये जायेगें)। लिखित परीक्षा के पश्चात् अधिमान अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़कर प्राथमिकता का निर्धारण किया

जावेगा।

2. <u>स्टेनोग्राफर हिन्दी</u> –

<u>(अ) कौशल परीक्षा</u> – उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 5 मिनट का हिन्दी श्रुतिलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 25 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। परीक्षा शुरू होने के आधे घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहना होगा।

<u>(ब) मेरिट सूची</u> – कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। कौशल परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 30 अंक, अन्य पिछडा वर्ग के लिए 25 अंक एवं अनुसूचितजाति/जनजाति वर्ग के लिए 20 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. <u>स्टेनोग्राफर अंग्रेजी</u> –

<u>(अ) कौशल परीक्षा</u> – उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी श्रुतिलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 25 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। परीक्षा शुरू होने के आधे घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहना होगा।

<u>(ब) मेरिट सूची</u> – कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। कौशल परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 30 अंक, अन्य पिछडा वर्ग के लिए 25 अंक एवं अनुसूचितजाति/जनजाति वर्ग के लिए 20

4. <u>सहायक ग्रेड–तीन–</u>

<u>(अ) कौशल परीक्षा</u> – उम्मीदवारों को 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी।

<u>(ब) मेरिट सूची</u> – कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। कौशल परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 30 अंक, अन्य पिछडा वर्ग के लिए 25 अंक एवं अनुसूचितजाति/जनजाति वर्ग के लिए 20

टीप :– सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिन्दी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी एवं सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु आयोजित परीक्षा में एक अभ्यर्थी के एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिये आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा। परीक्षा में निम्नानुसार पूर्णांक रहेंगे :–

<u>सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु –</u>

{1}	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ)	–	100 अंक
{2}	उच्च योग्यता/अतिरिक्त अनुभव हेतु अधिमान अंक	–	35 अंक

<u>स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद हेतु –</u>

{1}	कौशल परीक्षा	–	100 अंक

<u>स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद हेतु –</u>

{1}	कौशल परीक्षा	–	**100** अंक

सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु :–

{1}	कौशल परीक्षा	–	**100** अंक

<u>महत्वपूर्ण निर्देशः–</u>

1. आवेदन पत्र प्रस्तुत करनें की अंतिम तिथी तक प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची तैयार कर पात्र एवं अपात्र आवेदन पत्रों की सूची इस कार्यालय के वेबसाइट korba.court@nic.in में अपलोड कर दी जावेगी सूची अपलोड करनें के दिनांक से अधिकतम 5 दिन तक दावा आपत्ति हेतु समय रहेगा। अगले 5 दिन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण कर पुनः सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी जावेगी उसके पश्चात् कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी। आवेदकों को पात्रता एवं अपात्रता के लिये सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा तिथि एवं स्थान की सूचना प्रवेश पत्र प्रेषित कर एवं वेबसाईट तथा समाचार पत्र के माध्यम से दी जायेगी।
3. उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी। प्रथमतः रिक्त पदों पर नियुक्ति दो वर्षो की परिवीक्षा अवधि पर होगी। परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
4. वरीयता सूची में सामान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। सामान अंक एवं सामान जन्मतिथि होने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता तय की जावेगी जिस अभ्यर्थी की अधितम शैक्षणिक योग्यता है उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। सामान अंक, सामान जन्मतिथि एवं सामान शैक्षणिक योग्यता होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के अंको के आधार पर वरियता तय की जावेगी जिस अभ्यर्थी के अधिक अंक होंगें उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
5. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा को होगा ।
6. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
7. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा

में लिया जावेगा।

8. आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर से सत्यापित न होने की दशा में संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण छ0ग0 रायपुर से सत्यापित कराया जावेगा। फर्जी पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. चयनित उम्मीदवार जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. चयन प्रकिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
11. उक्त नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन कमांक सी 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/ निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा।
12. महिला हेतु आरक्षित पदों पर योग्य महिला उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर उसी संवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों का चयन किया जा सकेगा।
13. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
14. जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
15. जिन आवेदकों को डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हो सकेगा ऐसे आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाइट korba.court@nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेगा। कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली/दिवस में ली जा सकती है।
16. आवेदन पत्र जमा करनें की अंतिम तिथि को यदि किसी कारण वश अवकाश दिवस घोषित होता है तो आगामी कार्य दिवस अंतिम तिथी मानी जावेगी।

<u>महत्वपूर्ण टीपः—</u>

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोरबा,छ0ग0

सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड–तीन के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

उम्मीदवार अपना नवीनतम स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ यहां चस्पा करें।

प्रति,

श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरबा (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम :–..

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :–..

3. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आवेदक का पूरा नाम :–..

4. लिंग– पुरूष, संकेतांक–1, महिला संकेतांक–2 :– ....

5. पिता/पति का नाम :–..

6. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :–..
....
....

(ब) स्थाई पता :–..
....
....

7. (अ) जन्म तिथि अंकों में :–..
(ब) जन्म तिथि शब्दों में :–..
(स) दिनांक 1/01/2016 को आयु :–वर्ष.............माह................दिन........
(यदि आवेदक आयु में छूट का कोई दावा करता है तो उक्त के संबंध में आधार एवं दस्तावेज संलग्न।)

8. क्या आवेदक छ0ग0 का मूल निवासी है? हां/नहीं :– ....
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

9. क्या आवेदक छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं :–........................
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। :– ....

11. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नहीं :– ....
(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं :– ....
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक :– ....

14. रोजगार कार्यालय का नाम :– ....

15. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं :– ....
16. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि :– ....
17. पत्नी की उम्र विवाह तिथि को तथा जन्म तिथि :– ....
18. जीवित बच्चों की संख्या तथा जन्म तिथि :– ....

क0	नाम	लिंग	जन्मतिथि
1			
2			

19. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताः–

क0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड वि0वि0 का नाम	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

टीपः– यदि अभ्यर्थी अधिमान अंक का दावा करता है
तब उक्त आधार की जानकारी तथा दस्तावेज संलग्न करें:–.................................

20. अनुभव यदि कोई हो(प्रमाण पत्र संलग्न करें।) :–.................................
21. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं :–.................................
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
22. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः–
(स्वयं या राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए)

1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.

घोषणा– पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक .... अंगूठा निशानी आवेदक का हस्ताक्षर...
स्थान .... नाम एवं पूरा पता...

पुरूष उल्टे/बाय हाथ का
महिला सीधे/दाये हाथ का
(अनिवार्य रूप से भरें)

मोबाईल नम्बर...
ई–मेल पता ....

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा जिला कोरबा (छ0ग0)

–:: प्रवेश पत्र ::–

तृतीय श्रेणी कर्मचारी सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड– तीन भर्ती परीक्षा 2016

परीक्षा केन्द्र –
परीक्षा दिनांक व समय –
रोल नम्बर–
(कार्यालय उपयोग हेतु)

(आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ दो प्रति में भर कर प्रस्तुत करना है)

उम्मीदवार अपना नवीनतम स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ यहां चस्पा करें।

1. आवेदित पद का नामः–..
2. नाम :–...
3. पिता का नाम :–...
4. जन्म तिथि :–अंकों में ....शब्दों में ....
5. लिंगः– ....
6. पताः–...
....
7. वर्ग(जाति):–...

1. आवेदक का हस्ताक्षर

....

2. आवेदक के हस्ताक्षर ....
परीक्षा केन्द्र में

–:परीक्षार्थी के लिए अनुदेश :–

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनिट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले पेन का ही उपयोग करें।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स पेजर, केल्कूलेटर, लेपटाप, मोबाईल, लॉग टेबल, टेब आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने/ चिन्हांकित करने पर, परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी।
5. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. प्रवेश पत्र में दूसरा हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।